

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
(Central Board of Direct Taxes)

New Delhi, the 26th December' 2013

Notification

S.O. It is hereby notified for general information that the organization **Salim Ali Centre for Ornithology and Natural History, Coimbatore (PAN-AAATS1101Q)** has been approved by the Central Government for the purpose of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 (said Act), read with Rules 5C and 5D of the Income-tax Rules, 1962 (said Rules), from Assessment year 2013-2014 onwards in the category of 'Scientific Research Association' activities subject to the following conditions, namely:-


- (i) The sole objective of the approved 'Scientific research association' shall be undertake scientific research;
- (ii) The approved organization shall carry out scientific research by itself;

(iii) The approved organization shall maintain **separate books of accounts** in respect of the sums received by it for scientific research, reflect therein the amounts used for carrying out research, get such books audited by an accountant as defined in the explanation to sub-section (2) of section 288 of the said Act and furnish the report of such audit duly signed and verified by such accountant to the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax having jurisdiction over the case, by the due date of furnishing the return of income under sub-section (1) of section 139 of the said Act;

- (iv) The approved organization shall maintain a **separate statement of donations** received and amounts applied for research in social science and a copy of such statement duly certified by the auditor shall accompany the report of audit referred to above.

2. The Central Government shall withdraw the approval if the approved organization:-

- (a) fails to maintain **separate books of accounts** referred to in sub-paragraph (iii) of paragraph 1; or
- (b) fails to furnish its audit report referred to in sub-paragraph (iii) of paragraph 1; or
- (c) fails to furnish its statement of the donations received and sums applied for research in social science or statistical research referred to in sub-paragraph (iv) of paragraph 1; or
- (d) ceases to carry on its research activities or its research activities are not found to be genuine; or
- (e) ceases to conform to and comply with the provisions of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the said Act read with rules 5C and 5D of the said Rules.


(Richa Rastogi)

Under Secretary (ITA-II)
(F.No.203/44/2012/ITA-II)

Notification No. 97 /2013

To

The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri, New Delhi

Copy forwarded to:

1. The applicant organization, **Salim Ali Centre for Ornithology and Natural History, Coimbatore**
2. The Director General of Income Tax (Exemptions), New Delhi
3. Comptroller & Auditor General of India.
4. **CCIT, Coimbatore**
5. Concerned File
6. Ministry of Law & Justice (Correction Section), New Delhi.
7. DIT(Systems), New Delhi, for placing on the website incometaxindia.gov.in
8. Guard file.(PAN: AAATS1101Q)
9. ITCC, CBDT (4 copies)


(Richa Rastogi)

Under Secretary (ITA-II)

MS- Kelle
26/12/13

(भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3 के उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक: 26th दिसम्बर, 2013

अधिसूचना


का.आ. सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा आयकर नियमावली, 1962 (उक्त नियमावली) के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (iii) के प्रयोजनार्थ सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथॉलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बतूर (पैन-एएएटीएस1101क्यू) को कर-निर्धारण वर्ष 2013-2014 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन 'वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था' कार्यकलापों की श्रेणी में अनुमोदित किया गया है, नामतः-

- (i) अनुमोदित 'वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था' का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान करना होगा;
- (ii) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान स्वयं करेगा;
- (iii) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसको प्राप्त राशि के संबंध में अलग खाता बही रखेगा, जिसमें अनुसंधान करने के लिए प्रयुक्त राशि दर्शाई गई हो, उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार से अपने खाता-बही की लेखा-परीक्षा कराएगा और उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित एवं हस्ताक्षरित लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा;
- (iv) अनुमोदित संगठन प्राप्त दान और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए प्रयुक्त राशि का अलग विवरण रखेगा और उपर्युक्त लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा-परीक्षक द्वारा विधिवत सत्यापित ऐसे विवरण की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।

2. केंद्र सरकार यह अनुमोदन वापस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन:-

- (क) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में उल्लिखित अलग लेखा बही रखने में असफल रहता है; अथवा

- (ख) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में उल्लिखित अपनी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा
- (ग) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में उल्लिखित सामाजिक विज्ञान अथवा सांख्यिकीय अनुसंधान में अनुसंधान के लिए प्राप्त एवं प्रयुक्त दान का अपना विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा
- (घ) अपना अनुसंधान कार्य करना बंद करता है अथवा इसके अनुसंधान कार्य को सही नहीं पाया जाता है; अथवा
- (ङ) उक्त नियमावली के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (iii) के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलता है और उनका पालन नहीं करता है।


(ऋचा रस्तोगी)

अवर सचिव (आ.क.नि.-II)

(फा.सं. 203/44/2012-आ.क.नि.-II)

अधिसूचना सं. 97 /2013

सेवा में,


प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. आवेदक संगठन, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथॉलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बतूर।
2. आयकर महानिदेशक (छूट), नई दिल्ली।
3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
4. मुख्य आयकर आयुक्त, कोयम्बतूर।
5. संबंधित फाइल।
6. विधि एवं न्याय मंत्रालय (संशोधन अनुभाग), नई दिल्ली।
7. आयकर निदेशक (प्रणाली), नई दिल्ली को वेबसाइट incomtaxindia.gov.in में डालने हेतु।
8. गार्ड फाइल। (पैन-एएएटीएस1101क्यू)
9. आईटीसीसी, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (4 प्रतियां)।


(ऋचा रस्तोगी)

अवर सचिव (आ.क.नि.-II)